न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – जगदीश आर्य

अपील संख्या 82/20 तारीख रजू 24.08.2020

1. जगदीश पुत्र मदन वैष्णव निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार

..... अपीलार्थी

1. जगमोहन पुत्र किशन्या बैरवा निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
2. जानकी पत्नि किशन्या बैरवा निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
3. पार्वती पुत्री किशन्या बैरवा निवासी सोनकच्छ तहसील खण्डार
4. तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर

..... रेस्पोडेन्टस्

:निर्णय :: दिनांकः 21.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 02/2014 मे पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 486/1 रकबा 2 बीघा ग्राम सोनकच्छ से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट की ओर से श्री कैलाश सिंह राजावत एडवोकेट तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री बच्चू सिंह एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत अपील दिनांक 24.08.20 एवं संशोधित अपील दिनांक 19.03.21 में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आरटीएक्ट घीस्या वगै0 के विरूद्व पेश किया गया था जिसमें घीस्या वगै0 पर कार्यवाही न की जाकर अपीलान्ट की तलबी की जाकर बिना सुनवाई का मौका दिये रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खिलाफ कानून जाकर 183 बी, का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश विधि तरीके से पारित कर दिये गये। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत तहसीलदार खण्डार के न्यायालय के समक्ष पेश किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता की खातेदारी का आराजी खसरा नम्बर 480/3 रकबा 15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5 बीघा, खसरा नम्बर 381 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ है। जिसमें घीस्या, शम्भू, मांग्या गूजरान निवासी सोनकच्छ ने जबरन कब्जा कर रखा है

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इसलिये इनको बेदखल कर कब्जा किशन्या बैरवा को दिलवाया जावे। जिसमें खसरा नम्बर 480/3 खसरा नम्बर 381, खसरा नम्बर 479 पर अदालत मातेहत ने किशन्या बैरवा का ही कब्जा माना है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि किशन्या (रेस्पोडेन्ट के पिता) के द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ ख0नं0 486/1 पर अतिक्रमण करने के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर. टी.एक्ट पेश नहीं किया गया है लेकिन अदालत मातेहत ने अपीलार्थी को खसरा नम्बर 486/6 की भूमि अपीलार्थी की चाची दांखा व बहन काडी, राजो, सुनिता, विद्या, ममता की खातेदारी की भूमि, जिस पर अपीलान्ट का ही कब्जा चल रहा है, से बेदखल करने का आदेश दिया जो कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 486 बडा रकबा है जिसमें रेस्पोडेन्ट की खातेदारी 5 बीघा व अपीलार्थी की चाची दांखा व बहन काडी, राजो, सुनिता, विद्या, ममता के खातेदारी की भूमि 14 बिस्वा है जो रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नं0 486/1 रकबा 5 बीघा से उत्तर दिशा की ओर है तथा इसके बाद अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 478 है उक्त रेस्पोडेन्ट की भूमि 5 बीघा के दक्षिण में घीस्या, मांग्या, शम्भू गुर्जर निवासी सोनकच्छ की भूमि है रेस्पोडेन्ट की भूमि पर गुर्जरों ने कब्जा किया था अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है। न ही कभी कब्जा करने का प्रयास किया है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि खसरा नम्बर 486 कुल लगभग 15–16 बीघा जमीन है जिस पर मौके पर तरमीम नहीं की हुई है इसलिये अपीलार्थी, रेस्पोडेन्टस व गूर्जर घीस्या वगैरहा पटवारी हल्का द्वारा बताये गये स्थान पर अपने अपने कब्जे के अनुसार काबिज आवंटन के समय से वर्षों से काश्त करते चले आ रहे है जिस पर किसी भी भूमि आवंटी को कोई ऐतराज नहीं था अपनी अपनी जगह सब काबिज है। अपीलार्थी की चाची की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 486/6 रकबा 14 बिस्वा व 478 की अपीलार्थी की जमीन पर अपीलार्थी का कब्जा है तथा इसके लिये अपीलार्थी का अतिक्रमण स्वयं रेस्पोडेन्ट किशन्या भी नहीं मानता है न ही उसने अपीलान्ट के खिलाफ भूमि पर अतिक्रमण करने का परिवाद पेश किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तरमीम को आधार मानकर अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश दिया है जो गैर कानूनी है व निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि उक्त प्रकरण किशन्या बनाम घीस्या गुर्जर में मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट तहसीलदार के आदेश अनुसार पटवारी हल्का व गिरदावर से तलब करने पर दिनांक 26.12.17 को मौके पर जाकर कब्जा मुताबिक रिपोर्ट पेश की है जिसमें खसरा नम्बर 486/1 के उत्तर में अपीलार्थी की चाची दाखां व बहन काडी, राजो, सुनिता, विद्या, मम्ता आदि का कब्जा बतलाया है जो सही व सत्य है तरमीम कब्जे के अनुसार ही की जाती है अतः मौका स्थिति व कब्जे के अनुसार निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातेहत ने स्वयं राजनैतिक प्रभाव में आकर किशन्या बैरवा के वारिसान को व गुर्जर जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये अपीलार्थी की चाची की भूमि खसरा नम्बर 486/6 रकबा 14 बिस्वा की तरमीम दूर बतलाकर की है जो मौका स्थिति के विपरीत है जहां पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा है इस प्रकार की तरमीम रिपोर्ट मौका की सही स्थिति के विपरीत है। ऐसे आदेश से मौका पर जबरन कब्जा प्राप्त करने की सूरत में कभी भी जनहानि हो सकती है। अधिनस्थ न्यायालय को वास्तविक मौका स्थिति की सही व सत्य जानकारी

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कर अपना आदेश पारित करना चाहिये था जो नहीं है। अतः निर्णय बिलकुल कानून के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातेहत ने अपीलार्थी की कोई सुनवाई नहीं की है बिना सुनवाई किये गलत तरमीम के आधार पर बेदखली के आदेश दिये है जो निरस्त किये जाने योग्य है तहसील खण्डार में गलत तरमीम करने के संबंध में कई बार प्रदर्शन हो चुका है, अखबारों में शिकायत की जा चुकी है। अपीलार्थी का खसरा नम्बर 478 स्वयं की एवं खसरा नम्बर 486/6 रकबा 14 बिस्वा चाची की भूमि पर काबिज है जिसके फर्जी व गलत तरमीम के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी इस तरमीम के बारे में दुबारा मौका देखकर दिनांक 14.7.20 को सही तरमीम करने का प्रार्थना पत्र दे चुके है। पटवारी हल्का व गिरदावर ने मौके पर जाकर तरमीम नहीं की है बल्कि तहसील में बैठकर ही नक्शा तैयार किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातेहत ने अपीलार्थी को दिनांक 04.06.20 को ही बेदखल करने के आदेश कर दिये जबकि फैसला 29.07.20 को किया है एवं नोटिस भी दिनांक 08.06.20 को जारी किया है, निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अदालत मातेहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.20 निरस्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में तर्क दिया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी खसरा नम्बर 480/3, रकबा 0.15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5.00 बीघा, 381 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.16 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ में स्थित है। जिस पर रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 ने दिनांक 20.06.2014 को ट्रेक्टर चलाकर खेत की मेड तोड कर अपने खेतो में मिला लिया। जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रकरण पेश करने पर उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 26.09.17 को पटवारी हल्का खण्डेवला के द्वारा जांच रिपोर्ट में बताया गया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी खसरा नम्बर 480/3 रकबा 0.15 बिस्वा एवं 479 रकबा 0.16 पर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का कब्जाकाश्त है तथा लगभग 4.00 बीघा भूमि पर भी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का ही कब्जा है। खसरा नम्बर 486 में 6 उपखसरे बटा नम्बर बने हुए है जिनकी नक्शे में तरमीम नहीं होने से यह पता नहीं चल पाता है कि शेष भूमि किसे पास दबी हुई है जिसका पता जमीन की नाप कर नक्शे में तरमीम होकर पता चल सकेगा। दिनांक 05.09.18 को पटवारी हल्का खण्डेवला ने खसरा नम्बर 486/1, 480/3 व 479 की तरमीम न्यायालय में पेश की लेकिन अतिक्रमण के संबंध में कोई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 27.05.20 के द्वारा सीमाज्ञान के लिए टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा दिनांक 04.06.20 को सीमाज्ञान करने पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 की खसरा नम्बर 486/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि उत्तर की तरफ अपीलार्थी का अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.07.20 को अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर शास्ति अधिरोपित कर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की उक्त 02.00 बीघा भूमि से बेदखल किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोडेन्ट रामनारायण द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी.एक्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी खसरा नं0 480/3, रकबा 0.15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5.00 बीघा, 381 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.16 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ तहसील खण्डार स्थित है। जिस पर दिनांक 20.06.2014 को ट्रेक्टर चलाकर खेत की मेड तोड कर अपने खेतो में मिला लिया। जिसको पुलिस इमदाद द्वारा उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा संभलाने बाबत निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 2/14 दिनांक 08.07.14 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता के द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहे जाने पर पत्रावली में कई बार तारीख पेशीयों से गिरने पर जवाब पेश नहीं करने तथा पटवारी हल्का की तरमीम दिनांक 05.09.18 एवं सीमाज्ञान हेतु गठित टीम की रिपोर्ट दिनांक 04.06.20 के अनुसार 2.00 बीघा भूमि उत्तर की तरफ अपीलार्थी का कब्जा पाये जाने पर दिनांक 08.06.20 को अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर अन्तर्गत धारा 183 बी के तहत नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 29.07.2020 को रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के पक्ष में निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ने तहसीलदार खण्डार के समक्ष दिनांक 08.07.14 को स्वयं की खातेदारी खसरा नं0 480/3, रकबा 0.15 बिस्वा, 486/1 रकबा 5.00 बीघा, 381 रकबा 0.12 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 0.16 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सोनकच्छ पर घीस्या पुत्र देवपाल गुर्जर, शंभू पुत्र घीस्या गुर्जर, मांग्या पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी सोनकच्छ ने दिनांक 20.06.2014 को ट्रेक्टर चलाकर खेत की मेड तोड कर अपने खेतो में मिलाने के संबंध में रेस्पोडेन्टस संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183(बी) के तहत परिवाद पेश किया था। पटवारी हल्का खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 के अनुसार ख0नं0 486 पर काडी राजो सुनीता विध्या ममता पुत्री राधेश्याम बाबाजी का 6 बिस्वा पर, हजारीलाल पुत्र देवीलाल हि0 1/2 रामसिंह, शम्भूसिंह पि0 हजारीलाल गुर्जर हि0 1/2 का 2 बीघा 16 बिस्वा पर, पून्या पुत्र बजरंगा माली का 6 बिस्वा पर तथा काना पुत्र भागीरथ गुर्जर का 10 बिस्वा पर अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया। जबकि तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 16.07.18 की पालना में पटवारी हल्का खण्डेवला द्वारा की गई तरमीम दिनांक 05.09.18 में कोई अतिक्रमी चिन्हित नहीं करने पर तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 27.05.20 के द्वारा सीमाज्ञान के लिए गठित टीम द्वारा दिनांक 04.06.20 को किये गये सीमाज्ञान में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 की खसरा नम्बर 486/1 रकबा 5.00 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि उत्तर की तरफ केवल अपीलार्थी का अतिक्रमी के रूप में कब्जा पाया गया। किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 के अनुसार पाये गये शेष अतिक्रमी हजारीलाल पुत्र देवीलाल हि0 1/2, रामसिंह, शम्भूसिंह पि0 हजारीलाल गुर्जर हि0 1/2 का 2 बीघा 16 बिस्वा पर, पून्या पुत्र बजरंगा माली का 6 बिस्वा पर तथा काना पुत्र भागीरथ गुर्जर का 10 बिस्वा पर किये गये अवैध कब्जे के बारे में तहसीलदार खण्डार द्वारा कोई आदेश दिया गया हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। **पटवारी हल्का**

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 में अपीलार्थी को "A" पर काबिज दिखाया गया है जबकि पटवारी हल्का खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 05.09.18 में अपीलार्थी को पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 में दर्शाये गये बिन्दु "C" पर काबिज दर्शाया गया है। इस प्रकार पटवारी हल्का खण्डेवला की रिपोर्ट दिनांक 26.12.17 व 05.09.18 परस्पर विरोधाभासी प्रतीत होती है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में तरमीम की कार्यवाही दिनांक 05.09.18 को की गई है जिसमें अतिक्रमण के संबंध में कोई रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई जबकि दिनांक 20.09.18 को अतिक्रमण के चिन्हित करने हेतु फसल खडी होने की रिपोर्ट पेश की गई। **टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 के पैरा 3 में अंकित एक्जूकेश की कार्यवाही किसी भी टिनेन्ट को अगर की जाती है तो उसका समय 15 अप्रेल से 30 जून तक रहता है तथा समय मौके पर किसी भी काश्तकार की फसल मौजूद नहीं हो** किन्तु प्रकरण में की गई तरमीम दिनांक 05.09.18 एवं रिपोर्ट दिनांक 20.09.18 से प्रतीत होता है कि खडी फसल के दौरान ही तरमीम की कार्यवाही की गई है। अदालत मातेहत द्वारा पूर्ण निष्कर्ष पर पहूँचे बिना ही एक पक्ष को लाभ पहूँचाने की गरज से उक्त निर्णय आनन–फानन में पारित किया है जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 486/6 की नक्शा शीट का सही तरह से अवलोकन कर सीमाये कायम कर दोनो पक्षों को अपना हिस्सा सीमाज्ञान के जरिये बताया जाकर एवं टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 के पैरा 3 में अंकित एक्जूकेश की कार्यवाही 15 अप्रेल से 30 जून तक निर्धारित की हुयी है तथा जमीन पडत हो तब ही धारा 183 बी की कार्यवाही सम्पादित करे। पुनः उभय पक्षो को सुना जाकर तथा साक्ष्य सबूत युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर